न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर
उपस्थितः संजय सिंह–। (एच०जे०एस0)
फौजदारी निगरानी संख्या–61 सन् 2026

1. रामकुमार फौजी पुत्र स्व० सोनवीर सिंह,
2. विजय कुमार पुत्र स्व० सोनवीर सिंह,
3. शिवम पुत्र रामकुमार

समस्त निवासीगण ग्राम भटौना, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर।

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार,
2. श्रीमती रीता पत्नी स्व० हरीराज, निवासी ग्राम भटौना, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर।

.....विपक्षीगण

निर्णय

01. प्रस्तत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण द्वारा अन्तर्गत धारा 438, 440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड)–9/जे०एम० बुलन्दशहर द्वारा मु०अ०सं० 504/2021, वाद संख्या 15025/2022 सरकार बनाम रामकुमार फौजी आदि अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०द०सं०, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर में पारित आदेश दिनांकित–21.01.2026 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री के साथ को अभियुक्तगण रामकुमार फौजी, विजय कुमार उर्फ गल्लो तथा शिवम द्वारा मारपीट की गयी व अभियुक्त शिवम द्वारा उसकी पुत्री को पकड़कर गलत जगह पर छुआ गया। इस सूचना पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0–504 सन 2021 अन्तर्गत धारा–323, 354, 452, 506 भा0दं0सं0 विरूद्ध अभियुक्तगण/निगरानीकर्तागण रामकुमार फौजी, विजय कुमार व शिवम दर्ज किया गया। बाद विवेचना उक्त अभियुक्तगण/निगरानीकर्तागण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–452, 354 भा0दं0सं0 का न होना पाते हुए धारा–323, 504 व 506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण/ निगरानीकर्तागण के विरूद्ध धारा–323, 504 व 506 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किये गये। तद्परान्त वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र 23ए अन्तर्गत धारा–216 भा0दं0सं0 प्रस्तुत कर आरोप संशोधित किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनॉकित–21.1.2026 द्वारा वादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 23ए स्वीकार किया गया।

03. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

04. निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 21.01.2026 तथ्य एवं विधि के विपरीत है। वाद में पुलिस द्वारा विस्तृत विवेचना उपरान्त तीन बार जांच की गई तथा प्रत्येक बार केवल धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. के अपराध की पुष्टि करते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक–26.08.2022 को संज्ञान लिया गया तथा दिनांक 10.09.2025 को उक्त धाराओं में आरोप विरचित किए गए। आरोप गठन के पश्चात पत्रावली पर कोई अतिरिक्त साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं हुआ। वादिया ने विचारण न्यायालय से यह तथ्य छिपाया कि उसने स्वयं पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर घटना पंचायतघर के निकट होना बताया था तथा उसमें न तो घर में घुसकर घटना करने का उल्लेख किया गया और न ही पीड़िता की उपस्थिति का है। साथ ही विवेचना में ग्राम के अनेक स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान भी संकलित किए गए हैं, जिनसे धारा 452 एवं 354 भा.दं.सं. का अपराध परिलक्षित नहीं होता। वादिया के पुत्र द्वारा विजय कुमार उर्फ गल्लो को चोट पहुंचाने के संबंध में पृथक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें उसने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया तथा वह दोषसिद्ध हुआ। निगरानीकर्तागण के अनुसार उक्त प्रकरण से बचाव हेतु उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। बिना किसी नवीन साक्ष्य के विचारण न्यायालय द्वारा वादिया का प्रार्थना पत्र 23–ए स्वीकार कर पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 विधिसम्मत नहीं है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। इन कथनों के आधार पर याचना की गयी है कि दाण्डिक निगरानी स्वीकार कर उक्त आदेश को निरस्त किया जाये।

05. विपक्षी संख्या 2 द्वारा उक्त निगरानी पर अपनी आपत्ति कागज संख्या 21क प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी/विपक्षी द्वारा निगरानी असत्य, भ्रामक है एवं तथ्यों को छिपाकर दाखिल की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 विधिसम्मत, साक्ष्यों पर आधारित एवं न्यायोचित है। उक्त आदेश रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा विवेचना सामग्री के सम्यक् परीक्षण के उपरान्त पारित किया गया है। निगरानीकर्तागण ने आदेश की मेरिट पर कोई ठोस आपत्ति नहीं की गयी है तथा मात्र कार्यवाही को विलम्बित करने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। चूँकि आदेश में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता। इन

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.09 16:43:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कथनों के आधार पर निगरानी निरस्त कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2026 को यथावत रखे जाने की याचना की गयी है।

06. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चन्द्र बाबू बनाम राज्य (2015) 8 एस.सी.सी. 774, संजय सिंह रामराव चवन बनाम दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के एवं अन्य (2015) 3 एस.सी.सी. 123, विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2013) 5 एस.सी.सी. 762, सुशान्ता डे बनाम बबली मजूमदार ए.आई.आर 2019 एस.सी. 1661** तथा **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 एस.सी.सी. 460** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि–

"Normally, revisional jurisdiction should be exercised on a question of law and the jurisdiction u/s 397 CrPC is very limited one but Revisional court can interfere with the findings of fact of the lower court only when the same is perverse and the finding recorded by the lower court are based on no evidence, material evidence has been ignored or judicial discretion has been exercised arbitrarily or perversely. It has also been held that matter Should not be remanded to the lower court when sufficient material for deciding the case finally is already there before the revisional/ appeallate court."

07. उभय पक्षों द्वारा किये गये अभिवचनों के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–216 का उल्लेख किया जाना समीचीन हैः–

धारा–216 दण्ड प्रक्रिया संहिताः– Court may alter charge.—

(1) Any court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced.

(2) Every such alteration or addition shall be read and explained to the accused.

(3) If the alteration or addition to a charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defence or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge.

(4) If the alteration or addition is such that proceeding immediately with the trial is likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary.

(5) If the offence stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained, unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is founded."

धारा 216 दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि धारा 216 न्यायालय को किसी भी आरोप में परिवर्तन करने अथवा उसमें वृद्धि करने की विशिष्ट एवं व्यापक शक्ति प्रदान करती है। उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय" न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह साक्ष्य की समाप्ति, बहस पूरी हो जाने तथा निर्णय सुरक्षित रखे जाने के पश्चात भी आरोप में परिवर्तन अथवा उसमें वृद्धि कर सके। आरोप में परिवर्तन अथवा वृद्धि उस स्थिति में की जा सकती है, जब न्यायालय की राय में आरोप निर्धारण के समय कोई चूक रह गई हो अथवा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रथमदृष्टया परीक्षण से न्यायालय को यह अनुमानित मत बनाने का आधार प्राप्त हो कि कथित अपराध के आवश्यक तथ्यात्मक अवयव विद्यमान हैं। आरोप में वृद्धि अथवा परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेते समय न्यायालय को यह परीक्षण करना होता है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का कथित अपराध के आवश्यक अवयवों के साथ प्रत्यक्ष संबंध अथवा पर्याप्त सामंजस्य है या नहीं। किसी अतिरिक्त आरोप को जोड़ना मात्र उस अतिरिक्त आरोप के संबंध में विचारण का प्रारम्भ करता है, जिसके उपरान्त उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि अभियुक्त को उस अतिरिक्त आरोप में दोषसिद्ध किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **डॉ. नल्लापारेड्डी श्रीधर**

रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2020) 12 SCC 467 में भी इस सम्बन्ध में विधिक मत प्रतिपादित किया गया है।

उक्त विधिक प्रावधान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मत के आलोक में आलोच्य आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में यह वर्णित किया गया है कि पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन किया गया है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपनी क्षेत्राधिकारिता का सही ढंग से प्रयोग करते हुए विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। तदनुसार विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–21.01.2026 खण्डित किये जाने योग्य नहीं है तथा स्थिर रहने योग्य है। तद्नुसार निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड)–9/जे०एम० बुलन्दशहर द्वारा मु०अ०सं० 504/2021, वाद संख्या 15025/2022 सरकार बनाम रामकुमार फौजी आदि अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०द०सं०, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर में पारित आदेश दिनांकित–21.01.2026 पुष्ट किया जाता है।

तलबशुदा पत्रावली विलम्ब वापस भेजी जाये।

दिनांक 09.06.2026

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
आई.डी. यू.पी. 2015

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 09.06.2026

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
आई.डी. यू.पी. 2015

शिवम गौड/ पी०ए०